



डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
(A Central University)

क्र. आर/स्था./2024/ 8596

18 जनवरी 2024

प्रति,

अति-आवश्यक

1. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/समन्वयक (प्रशासनिक/स्कूल)
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग
3. समस्त अधिकारीगण/प्रभारी/शाखा प्रभारी
4. समस्त कर्मचारीगण

विषय: अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

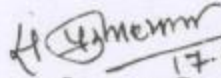
उपरोक्त विषय में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों से वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने हेतु परिपत्र आगामी ओर प्रेषित किये गये थे, किन्तु बहुत कम शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों ने वांछित जानकारी प्रस्तुत की है, जबकि स्वयंमेव प्रत्येक वर्ष, 31 जनवरी तक अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है किन्तु अधिकांश शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी उक्त निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जोकि CCS (Conduct) Rules 1964 का नियम 18 (1) (ii) का उल्लंघन है, अतः, यदि कोई शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्तानुसार समय पर संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें इम्पेनलमेंट, डेप्यूटेशन, अन्यत्र आवेदन करने एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेन्ड करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिया जावेगा।

अतः अपेक्षा है कि सभी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी स्वयंमेव अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रत्येक वर्षान्त पर्यन्त 31 जनवरी तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे, वार्षिक अचल संपत्ति का प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त प्रपत्र शिक्षकगण फ़ैकल्टी अफ़ेयर्स कार्यालय में जमा करेंगे तथा समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण स्थापना शाखा में प्रपत्र जमा करेंगे।

संबंधित विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारी/शाखा प्रभारी से आग्रह है कि वे अपने विभाग के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस परिपत्र से अवगत कराकर वांछित जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,


17.01.2024
प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. कुलपति जी के सचिव
2. कुलसचिव के निजी सहायक
3. प्रभारी अधिकारी, बेव सेल - कृपया वि.वि. के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. संबंधित नस्ती